उत्तराखण्ड भाासन
वन अनुभाग–02
संख्या–　　 /X–2–2026–20(1)2005 ई–39328
देहरादूनः दिनांक　　 मई, 2026

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 76 सहपठित धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005, उत्तरांचल पंचायती वन (सं ाोधन) नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड पंचायती वन (सं ाोधन) नियमावली, 2024 को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2026

		अध्याय–1 **प्रारम्भिक**	
संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2026 है।
		(2)	यह नियमावली संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।
		(3)	यह सरकारी गजट में प्रका ान के दिनांक से प्रभावी होगी।
परिभाशाएं	2.		जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–
		(क)	'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) से है;
		(ख)	'राज्य सरकार' से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है;
		(ग)	'आयुक्त', 'जिलाधिकारी', 'उप जिलाधिकारी', 'पटवारी', 'मुख्य वन संरक्षक', 'वन संरक्षक', 'प्रभागीय वनाधिकारी', 'उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक,' 'वन क्षेत्राधिकारी', 'उप वन क्षेत्राधिकारी', 'वन दरोगा'('फारेस्टर'), 'वन आरक्षी' ('वन रक्षक'), 'सरपंच', 'उप सरपंच' एवं 'वन पंचायत के सदस्य' का तात्पर्य क्रमशः ऐसे पदधारक से है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत 'पंचायती वन' पड़ता हो; 'प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड'; 'मुख्य वन संरक्षक,

			कार्य योजना'; 'मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग, एन.टी.एफ.पी. एवं आजीविका'; 'मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म एवं प्रचार–प्रसार'; 'मुख्य वन संरक्षक, प्र ाासन, वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना'; 'मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिकी वानिकी' से तात्पर्य ऐसे पदधारक से है, जो वन विभाग, उत्तराखण्ड में उक्त पद धारित करता हो;
		(घ)	'सरपंच' का तात्पर्य पंचायती वन स्तर पर गठित वन पंचायत के अध्यक्ष से है;
		(ङ)	सचिव वन पंचायत' जिसे आगे सचिव कहा गया है, का तात्पर्य ऐसे वनाधिकारी (वन रक्षक/वन आरक्षी या वन दरोगा/फॉरेस्टर या उपराजिक) से है, जो सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा नामित हो;
		(च)	'क्षेत्रीय समन्वयक' तथा 'जिला समन्वयक' का तात्पर्य क्रमशः तहसील अन्तर्गत पड़ने वाले वन पंचायत के सरपंचों द्वारा क्षेत्रीय पंचायती वन पराम ार्शदात्री समिति के तथा जनपद स्तर पर क्षेत्रीय समन्यवकों द्वारा जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष पद हेतु चयनित पदधारकों से है;
		(छ)	'वन अधिकारी', 'वन अपराध', 'वन उपज', 'पशु' तथा 'वृक्ष' के वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके लिये दिये गये हैं;
		(ज)	'वन पंचायत' का तात्पर्य पंचायती वन के प्रबन्धन के लिये गठित कार्यकारी समिति से है। इनमें वे वन पंचायतें भी सम्मिलित हैं जो इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व वन पंचायत नियमावली, 1931 अथवा वन पंचायत नियमावली, 1976 अथवा उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2001ए उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2005 (यथा सं ाोधित. 2012 एवं 2024) के अन्तर्गत गठित हैं अथवा भविष्य में इस नियमावली के अन्तर्गत गठित होंगे;
		(झ)	'पंचायती वन' का तात्पर्य इस नियमावली के अंतर्गत गठित पंचायती वन तथा इस नियमावली के लागू होने की तिथि को विद्यमान पंचायती वन के प्रख्यापित क्षेत्र से है, जिसमें इस नियमावली के अधीन इस रूप में यथाविधि पूर्व नियमावलियों में गठित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, और इसका वही अर्थ है जो भारतीय वन अधिनियम

			1927 की धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित शब्द 'ग्राम वन' से है, जिन्हें इस नियमावली में "पंचायती वन" कहा गया है।
		(ञ)	'वन पंचायत आम सभा' का तात्पर्य उप जिलाधिकारी द्वारा गठित उस समूह से है जिसमें पंचायती वन से संबंधित अधिकारधारीगण भाामिल हों;
		(ट)	'अधिकारधारी (आरक्षित वन)' का तात्पर्य आरक्षित वन के गठन के समय विि ाश्ट अधिकारों सहित चिह्नित उन अधिकारधारियों से है जिनके नाम इस हेतु अधिसूचित किए गए हों। इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति भी भाामिल होंगे जो उक्तानुसार अधिसूचित अधिकारधारियों के उत्तराधिकारी हैं तथा वर्तमान में वन पंचायत में निवासरत हैं;
		(ठ)	'अधिकारधारी (सिविल सोयम वन)' का तात्पर्य सिविल सोयम वन अथवा राजस्व भूमि से गठित पंचायती वन से संबंधित ग्राम सभा में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो :– (i) भूमिधर हो, अथवा (ii) भूमिहीन व्यक्ति हो किन्तु उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, अथवा (iii)कानून या न्यायालय के आदेशों के अधीन उस पंचायती वन में पशु चराने व चारा, गिरे–पड़े–सूखे ईंधन लकड़ी एकत्र करने हेतु अधिकृत हो
		(ड)	'वन उपयोगकर्ता समूह' का तात्पर्य उस समूह से है जिसके सदस्य संबंधित ग्राम के ऐसे अधिकारधारी हैं जो उस ग्राम के पंचायती वन वि ोश से संबद्ध है एवं जो अधिकारधारियों के सर्वोत्तम लाभ हेतु सामूहिक रूप से पंचायती वन के वन वर्धनीय स्वास्थ्य एवं सतत् संसाधन प्रबंधन में रूचि रखते हैं तथा संबंधित वन पंचायत में पाये जाने वाले वन उपज पर जीवन यापन हेतु निर्भर हैं। किसी भी परिवार के एक से अधिक सदस्यों को इस समूह में सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं इस समूह में सम्मिलित परिवार का सदस्य 'वन उपयोगकर्ता' कहा जाएगा;
		(ढ)	'पंचायती वन निधि' का तात्पर्य नियम–49 के अन्तर्गत

			वन पंचायत द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय से है;
		(ण)	'ग्राम' का तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जो उत्तर प्रदे ा भू–राजस्व अधिनियम 1901 (यथासं ोधित) की धारा 31 (जो उत्तराखण्ड में प्रवृत्त है) के अधीन रखी गयी सूची में सम्मिलित है तथा जिसकी सीमाएं उस अधिनियम के अनुसार किये गये राजस्व बन्दोबस्त के अधीन निर्धारित की गयी हैं;
		(त)	'ग्राम सभा' एवं 'ग्राम पंचायत प्रधान' के वही अर्थ होंगे, जो उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 में उनके लिए दिये गये हैं;
		(थ)	'संहत प्रबन्ध योजना' का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो जनपद स्थित समस्त पंचायती वनों के लिए वन–वर्धन एवं निरन्तर विकास के सिद्धान्त पर 10 वर्षों के लिए बनायी गई हो। यह योजना एकल अभिलेख के रूप में एक या अधिक खण्डों में होगी और इसमें पंचायती वनों का सामान्य विवरण तथा सूक्ष्म योजना को बनाने तथा किसी पंचायती वन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन के लिए मार्गद ीं सिद्धान्त समाहित होंगे;
		(ध)	वार्षिक कार्यान्वयन योजना' का तात्पर्य उस कार्यकारी योजना से है जो पंचायती वन की सूक्ष्म योजना के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई हो;
		(न)	'परिवार' का तात्पर्य ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज परिवार से है;
		(प)	'वयस्क' का तात्पर्य 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्ति से है;
		(फ)	'गैर विनाशकारी गैर प्रकाश्ठ वन उपज' का तात्पर्य फूल, फल, बीज, पत्तियां, चीड़–पीरूल व अन्य जमीनी जैव भार *(Floor Biomass)*, पाईन कोन्स *(Pine Cones)*, शिलाजीत, भाहद, गुच्छी म ारूम एवं अन्य म ारूम, बांस, रिंगाल, घास, बड़ी बिच्छू घास (*Girardinia heterophylla*) व बिच्छू घास / कन्डाली (*Urtica spp.*) से है एवं उत्तराखण्ड के विविध भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत यह सूची भाासन द्वारा परिवर्तनशील होगी जो समय–समय पर उपयोगिता के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकेगी;

		(ब)	''आक्रामक विदे ी प्रजातियां'' का तात्पर्य लैन्टाना (Lantana camara), काला बांसा (Ageratina adenophora), गाजर घास (Parthenium hysterophorus), विलायती तुलसी (Hyptis suaveolens), मिर्ची घास (Ageratum conyzoides), तीव्र गन्धा (Chromolena odorata) एवं विगेन्डिया (Wigandia urens) से है तथा यह सूची भाासन द्वारा प्रजातियों की आक्रामकता के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।
अध्याय–2 **पंचायती वन का गठन, सीमांकन एवं वन पंचायत का चुनाव**			
पंचायती वन के गठन हेतु आवेदन	3.		पंचायती वन, जिसमें ग्राम की सीमावर्ती घोशित आरक्षित वन, संरक्षित वन व राज्य सरकार के वन सम्मिलित होंगे, के गठन हेतु संबंधित राजस्व ग्राम में निवासरत वयस्कों में से न्यूनतम 20 प्रति ात व्यक्तियों द्वारा एक बैठक आहूत कर इस आ ाय का प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होगा। तत्प चात एक प्रार्थना–पत्र प्रस्ताव की प्रति सहित संबंधित वन क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें प्रार्थित क्षेत्र की स्थिति तथा सीमाएं यथासंभव स्पश्ट की जाएंगी। प्रार्थना–पत्र प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर वन क्षेत्राधिकारी, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में पंचायती वन प्रस्तावित है, उसे अपनी संवीक्षा सहित सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को प्रेशित करेगा।
आवेदन पर दावा तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर	4.		नियम–3 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी सम्बन्धित ग्राम में नोटिस तामील करायेगा एवं उक्त नोटिस को मोबाइल/विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से भी ग्राम के निवासियों के संज्ञान में लाएगा। साथ ही, व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक रूप से डुगडुगी पिटवायेगा तथा उक्त नोटिस की प्रति सम्बन्धित ग्राम तथा आसन्न ग्रामों एवं वन बन्दोबस्त में जिन ग्रामों को उक्त वन क्षेत्रों से सुविधायें प्राप्त हो, सार्वजनिक स्थलों पर चिपकायेगा। नोटिस में प्रार्थित क्षेत्र की स्थिति और सीमायें तथा प्रयोजन जिसके लिये वह अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट होगा तथा उसमें वह दिनांक इंगित होगा जब तक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में दावा एवं आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जानी चाहिये और उसमें वह दिनांक भी इंगित होगा जब दावों तथा आपत्तियों की सुनवायी की जायेगी।

दावों तथा आपत्तियों पर विनिश्चय, पंचायती वनों का सीमांकन और विनिश्चय के विरूद्ध अपील	5.	(क)	दावों तथा आपत्तियों की सुनवायी हेतु नियत दिनांक या किसी अनुवर्ती दिनांक को, जब तक के लिये कार्यवाहियां स्थगित की जायें, उप जिलाधिकारी दावों और आपत्तियों की, यदि कोई हों, सुनवायी करेगा तथा उन पर विनिश्चय करेगा। ऐसा करते समय उप जिलाधिकारी निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः— i. किसी भू–भाग को पंचायती वन घोषित नहीं किया जायेगा यदि जिन ग्राम या ग्रामों, जिनके भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित पंचायती वन का भूभाग अं ातः अथवा पूर्णतः समाहित है, उन ग्राम या ग्रामों के आधे या उससे अधिक निवासी उपर्युक्त आवेदन/प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्ति करें; ii. आरक्षित वन क्षेत्र के संबंध में बिना राज्य सरकार की अनुमति के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा; iii. अगर सीमा के संबंध में कोई विवाद हो, तो उप जिलाधिकारी सरसरी तौर पर निणर्य दे सकता है और इस निर्णय के आधार पर प्रस्तावित पंचायती वन के सीमांकन की कार्यवाही कर सकता है; iv. उप जिलाधिकारी आवेदन पत्र को अं ातः या पूर्णतः स्वीकार कर सकता है और ऐसी भार्तें विहित कर सकता है जिनपर उसे स्वीकार किया जा रहा है; तथा v. उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को अं ातः या पूर्णतः स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।
		(ख)	नियम–5, उपनियम (क) के खण्ड (iii) के अधीन भूमि सीमांकन सम्बन्धी प्रकरणों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त समिति गठित कर सकते है, जिसमें संबंधित तहसीलदार एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी भाामिल होंगे। समिति की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उप जिलाधिकारी को सीमांकन प्रकरण के निस्तारण का अधिकार प्राप्त होगा।
नियम 5 के अंतर्गत पारित आदे ा/विनि चय	6.	(क)	नियम–5, उपनियम (क) के अन्तर्गत दिये गये निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति निर्णय के 30 दिनों के अन्दर आरक्षित वन से बनी वन पंचायत हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को

के विरूद्ध अपील			एवं सिविल सोयम/राज्य सरकार की भूमि से बनी वन पंचायत हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को अपील कर सकते हैं जो यथा सम्भव अपना निर्णय अपील की प्राप्ति से 60 दिनों के अन्दर देगा।
		(ख)	नियम–5, उपनियम (ख) के अंतर्गत पारित आदे ा से क्षुब्ध पक्ष 30 दिनों के अंदर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अपील कर सकते हैं जो यथा सम्भव अपना निर्णय अपील की प्राप्ति से 60 दिनों के अन्दर देगा।
पंचायती वनों के सीमांकन संबंधी अभिलेखों का रख रखाव व बेदखली की कार्यवाही	7.	(क)	पंचायती वनों के सीमांकन सम्बन्धी अभिलेखन की कार्यवाही भू–राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी। सीमांकन से सम्बन्धित अभिलेख (मानचित्र, खसरा, खतौनी, नोटिफिके ान आदि) तहसील अभिलेखागार, वन पंचायत, प्रभागीय वनाधिकारी एवं जनपदीय भू–लेखागार में/के पास संरक्षित की जायेगी।
		(ख)	सीमांकन के समय अतिक्रमण पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी (आरक्षित वनों में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं सिविल सोयम वनों में संबंधित उपजिलाधिकारी) द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
वन पंचायत आम सभा का गठन	8.		प्रत्येक पंचायती वन से संबंधित एक वन पंचायत आम सभा होगी जिसका गठन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय उप जिलाधिकारी द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि ग्राम के कौन–कौन से परिवार उक्त पंचायती वन पर पारम्परिक रूप से आश्रित/निर्भर रहे हैं या जिन्हें किसी कानून या न्यायालय के आदेशों के अधीन उस पंचायती वन में पशु चराने, चारा, गिरे–पड़े–सूखे ईंधन लकड़ी एकत्र करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें पंचायती वन पर पारम्परिक रूप से आश्रित/निर्भर ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं। पंचायती वन के सभी अधिकारधारी अनिवार्यतः वन पंचायत आम सभा के सदस्य होंगे।
वन वंचायत का गठन	9.	(क)	नियम 8 के अनुसार वन पंचायत आम सभा का गठन किए जाने के उपरांत, उप जिलाधिकारी, राजस्व एवं वन विभाग के नाम निर्दिश्ट एक–एक अधिकारी के संयुक्त तत्वाधान में वन पंचायत आम सभा के सदस्यों

			को किसी सुविधाजनक स्थान पर एकत्रित होने हेतु आह्वान करेगा। एतदर्थ, उप जिलाधिकारी द्वारा एक लिखित नोटिस सम्बन्धित पटवारी एवं सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान पर भी तामील कराई जाएगी। इस क्रम में वन पंचायत आम सभा के एकत्रित सदस्यों द्वारा राजस्व एवं वन विभाग के नाम निर्दिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति में वन पंचायत के सदस्यों का चयन किया जाएगा। यह चयन यथासंभव सर्व–सम्मति से किया जायेगा। अगर यह संभव न हो तो नाम निर्दिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति में हाथ उठाकर बहुमत से किया जायेगा।
		(ख)	वन पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या नौ होगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि एक परिवार से एक ही सदस्य इस हेतु पात्र होगा। वन पंचायत के नौ सदस्यों में से दो सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें से एक सदस्य संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा नामित किया जायेगा, किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि उक्त व्यक्ति वन पंचायत आम सभा का सदस्य हो। दूसरा सदस्य जैव विविधता प्रबन्धन समिति (जैव विविधता अधिनियम 2002– यथासं ाोधित) के अंतर्गत गठित के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत/ जैव विविधता प्रबन्धन समिति में एक से अधिक वन पंचायत स्थित हैं उस द ाा में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा/अध्यक्ष, जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा एक सदस्य को एक से अधिक वन पंचायतों में नामित किया जा सकेगा। चार स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे जिनमें से एक सदस्या अनुसूचित जाति या जनजाति की होगी। भोश तीन स्थानों में से एक स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति क पुरूष के लिये आरक्षित होगा। अगर सम्बन्धित ग्राम में अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं रहते हों तो उक्त स्थान अनारक्षित समझे जायेंगे।
		(ग)	कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर पंचायती वन की देय धनराशि बकाया हो तथा/अथवा जो नैतिक पतन सम्बन्धित दण्डात्मक अपराध के लिए दोष सिद्ध हो तथा/अथवा जिस पर किसी भी वन अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज हो, वन पंचायत के सदस्य के रूप में चयन के लिये पात्र नहीं होगा।
		(घ)	किसी पंचायती वन के भौगोलिक क्षेत्र को नगर निकाय

			(नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम) में सम्मिलित किए जाने की द ाा में, उसके प्रबंधन हेतु वही व्यवस्था लागू रहेगी जो कि नगर निकाय में क्षेत्र के भाामिल होने के पूर्व में विद्यमान थी। नगर निकाय में वन पंचायत के भौगोलिक क्षेत्र भाामिल होने के समय कार्यरत वन पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के प चात एवं बाद में भी नए वन पंचायत का गठन भी इसी नियमावली की व्यवस्था के अधीन की जाती रहेगी, किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि मनोनीत दो सदस्यों में से एक का नामांकन संबंधित नगर निकाय के अध्यक्ष द्वारा एवं दूसरे का नामांकन जैव विविधता प्रबन्धन समिति (जैव विविधता अधिनियम 2002– यथा सं ाोधित के अन्तर्गत गठित) के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
		(ड.)	वन पंचायत के मनोनीत सदस्यों को वन पंचायतों की बैठकों आदि में प्रतिभाग का अधिकार होगा, किन्तु मतदान का अधिकार नही होगा।
सरपंच व उप सरपंच का चयन	10.	(क)	नियम–9 के अनुसार गठित वन पंचायत के सदस्यगण उप जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिश्ट अधिकारियों की उपस्थिति में अपने में से एक सदस्य को सरपंच व एक को उप सरपंच के रूप में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत द्वारा चुनेंगे। ऐसा करते समय उप नियम (ख) के अनुसार किए गए आरक्षण का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
		(ख)	प्रदेश में वन पंचायत सरपंचों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। सरपंच के 50 प्रतिशत पद पर महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में गठित प्रत्येक वन पंचायत में क्रम ाः एक बार महिला तथा अगली बार पुरूष सरपंच का चयन किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत गठित/पुनर्गठित होने वाली वन पंचायतों में महिला व पुरूष सरपंच के चयन का रोस्टर अभिलिखित कर सम्बन्धित ग्राम में प्रचारित करेगा। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर उप जिलाधिकारी सदस्यों, उप सरपंच एवं सरपंच के नाम वन पंचायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।
		(ग)	किसी एक परिवार से, जिसमें व्यक्ति, उसके माता–पिता, पति–पत्नी तथा बच्चे भाामिल माने जाएंगे,

			कोई लगातार दो कार्यकाल से अधिक अवधि के लिए सरपंच के रूप में चयन के लिये पात्र नही होगा।
वन पंचायत के चुनाव परिणाम की घोषणा	11.		वन पंचायत के विधिवत गठन के तुरन्त प चात उप जिलाधिकारी वन पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं सदस्यों के नामों की सूची संबंधित ग्राम के किसी सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कर घोशित करेगा एवं इस प्रकार वन पंचायत आम सभा को सूचित करेगा। साथ ही, यथासंभव WhatsApp/ SMS/ अन्य सो ाल मीडिया के माध्यम से उक्त नामों की सूचना वन पंचायत आम सभा के सदस्यों को प्रेशित करेगा।
चुनाव पुनरीक्षण एवं अपील	12.	(क)	वन पंचायत के किसी सदस्य के चयन से असंतुश्ट कोई भी अधिकारधारी चयन की तिथि के 30 दिनों के भीतर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को असंतुश्टि का कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार किसी वन पंचायत सदस्य के उप सरपंच अथवा सरपंच के पद पर चयन किये जाने से असंतुश्ट कोई सदस्य चयन की तिथि के 30 दिनों के भीतर संबन्धित उप जिलाधिकारी को असंतुश्टि का कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसे प्रार्थना पत्रों का यथा सम्भव 60 दिनों के अन्दर निस्तारण करेगा।
		(ख)	उक्त उप नियम (क) के अन्तर्गत दिये गये आदेश से क्षुब्ध प्रार्थी आदेश की तिथि के 30 दिनों के भीतर जिलाधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और जिलाधिकारी ऐसी अपील का यथासम्भव 60 दिनों के भीतर निस्तारण करेगा।
पंचायती वन, वन पंचायत आम सभा एवं वन पंचायत के गठन की सूचना	13.		उप जिलाधिकारी इस नियमावली के अन्तर्गत पंचायती वन, वन पंचायत आम सभा एवं वन पंचायत के गठन की सूचना मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी को देगा एवं नगरीय क्षेत्र में गठित वन पंचायत की सूचना संबंधित अधि ाासी अधिकारी/नगर अध्यक्ष/नगर आयुक्त को भी देगा।
पंचायती वनों की सीमा/ क्षेत्रफल का पुनरीक्षण/ पुनर्निर्धारण	14.		यथाआव यक्ता पंचायती वनों की सीमा का पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण नियम 3, 4, 5, 6, 7 एवं 13 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। ऐसा करते समय इस तथ्य का वि ोश ध्यान रखा जाएगा कि वर्तमान में कम क्षेत्रफल वाले पंचायती वनों का

			क्षेत्रफल यथासम्भव 15 हेक्टेयर या उससे अधिक हो जाए।
जनपद अन्तर्गत पंचायती वनों का प्रभागवार क्षेत्राधिकार	15.	(क)	पंचायती वनों के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी के क्षेत्राधिकार का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :— आरक्षित वनों की सीमा से लगे पंचायती वनों का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत होगा। पंचायती वनों, जिनकी सीमायें किसी आरक्षित वन से न लगी हों, का क्षेत्राधिकार जनपद के सिविल सोयम/भूमि संरक्षण वन प्रभाग (यदि सृजित/गठित है) का होगा।
		(ख)	किसी भी विवाद या सं ाय की द ा में संबंधित वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति के उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा पंचायती वनों के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जायेगा, जिस हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

अध्याय–3
वन पंचायत के पदाधिकारियों का कार्यकाल, कर्तव्य एवं अधिकार

वन पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और सदस्यों का कार्यकाल एवं नई वन पंचायत का गठन	16.	(क)	सरपंच, उप सरपंच और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था के रूप में सरपंच के उत्तरदायित्व का निर्वहन उप सरपंच द्वारा किया जाएगा; उप सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में उस पद के दायित्वों का निर्वहन सरपंच द्वारा किया जाएगा। दोनों पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में उप जिलाधिकारी द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में वन पंचायत के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सरपंच एवं उप सरपंच के दायित्वों के निर्वहन हेतु नामांकित किया जाएगा। रिक्त पदों पर चयन नियम 10 से 12 तक की प्रकिया के अनुसार उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
		(ख)	पूर्व में प्रख्यापित अथवा वर्तमान नियमावली में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत गठित वन पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम छः माह पूर्व ही उप जिलाधिकारी द्वारा वन पंचायत के गठन हेतु चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जायेगी एवं इसकी सूचना सम्बन्धित

			जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को दी जायेगी। उपर्युक्त हेतु वन क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्श माह जून में उन वन पंचायतों की सूची उप जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनका कार्यकाल आगामी कैलेडर वर्श में समाप्त होने वाला है।
		(ग)	यदि किसी वन पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाये और अपरिहार्य कारणव ा नयी वन पंचायत का गठन न हो पाया हो, तो जिलाधिकारी को उक्त वन पंचायत का कार्यकाल 6 माह हेतु बढ़ाने का अधिकार होगा और वह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि के प्रथम 3 माह के अन्तर्गत ही सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी ने वन पंचायत के गठन हेतु चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रत्येक दशा में विस्तारित अवधि के अंर्तगत ही उप जिलाधिकारी द्वारा वन पंचायत का गठन किया जाएगा और यदि उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो उप जिलाधिकारी के विरूद्ध यथोचित् कार्यवाही करते हुए वन पंचायत का कार्यकाल दूसरी बार जिलाधिकारी द्वारा 06 माह के लिए बढ़ाया जायेगा, जिसके अन्दर वन पंचायत के गठन हेतु चुनाव की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी। यदि द्वितीय विस्तारित अवधि में भी वन पंचायत के गठन हेतु चुनाव की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तो वन पंचायत विघाटित समझी जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत सरपंच का कार्यभार सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी या किसी उपयुक्त अधिकारी को चुनाव सम्पन्न होने तक के लिए हस्तान्तरित किया जायेगा।
		(ग)	सवैधानिक आपातकाल की विधिवत घोशणा होने की स्थिति में जिलाधिकारी को आपातकाल समाप्त होने तक 06–06 माह के लिए वन पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार होगा एवं आपातकाल समाप्त होनें के उपरान्त उप नियम (ग) के अनुसार नये वन पंचायत के गठन की कार्यवाही की जायेगी।
जिला वन पंचायत समन्वयन समिति का गठन	17.		वन पंचायत के समयबद्ध गठन, कु ाल संचालन, समीक्षा एवं विवादों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''जिला वन पंचायत समन्वयन समिति'' होगी, जिनमें निम्न सदस्य होगें :–

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>जिलाधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जनपद के समस्त प्रभागीय वनाधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जिला वन पंचायत पराम दात्री समिति के अध्यक्ष</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>समस्त क्षेत्रीय वन पंचायत पराम दात्री समिति के अध्यक्ष</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>वन पंचायत के नोडल प्रभागीय वनाधिकारी</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>वन पंचायत की बैठक एवं उसकी कार्यवाही</td><td>18.</td><td>(क)</td><td>प्रत्येक माह में वन पंचायत की कम से कम एक बैठक पूर्व निर्धारित तिथि पर की जायेगी। बैठक की कार्यवाहियां एक रजिस्टर में हिन्दी में अभिलिखित की जायेंगी और इसकी एक प्रतिलिपि बैठक के तुरन्त बाद वन क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी।

परन्तु सरपंच द्वारा कोई आपात बैठक या तो स्वयं अथवा वन पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम आधे सदस्यों के अधियाचन पर कम से कम एक दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात किसी भी समय बुलायी जा सकती है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ख)</td><td>वन पंचायत के सभी विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ग)</td><td>वन पंचायत की गणपूर्ति कुल कार्यरत सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति से होगी; इन सदस्यों में सरपंच एवं उप सरपंच भी भाामिल हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(घ)</td><td>संबंधित उप वन राजिक, वन दरोगा एवं वन आरक्षी वन पंचायत की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, पर उन्हें वन पंचायत के किसी विनि चय पर वोट देने का अधिकार नही होगा।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ङ)</td><td>वन आरक्षी एवं उसके उपलब्ध न होने की द ाा में वन दरोगा वन पंचायत का सचिव होगा। सचिव को संबंधित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा और सचिव को उसके कर्तव्यों में सहयोग देने हेतु पंचायती वन का कोई अधिकारधारी, जिसका चयन वन पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया गया हो, अपर सचिव होगा। अपर सचिव के चयन का आदे ा सरपंच द्वारा जारी किया जायेगा।</td></tr>
</table>

		(च)	सरपंच का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में दो बार, विशेष रूप से, अप्रैल तथा अक्टूबर में, वन पंचायत आम सभा की एक बैठक आहूत करे जिसमें आम सभा के समस्त व्यक्तियों को पंचायती वन के विकास कार्य तथा आय–व्यय के बारे में जानकारी दी जायेगी एवं चर्चा करायी जायेगी। बैठक की कार्यवाही सचिव द्वारा वन क्षेत्राधिकारी को भेजी जायेगी। अधिकारधारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे अपने सुझावों/ समस्याओं को वन पंचायत आम सभा में विचारार्थ रखें।
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच, उप सरपंच और सदस्य को हटाया जाना	19.	(क)	यदि वन पंचायत के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा उप जिलाधिकारी के समक्ष लिखित रूप से सरपंच या उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तो उप जिलाधिकारी द्वारा वन पंचायत की एक वि ोश बैठक बुलाई जाएगी जिसमें उप जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में उक्त अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बैठक में यदि वन पंचायत के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से अवि वास प्रस्ताव पारित किया जाये तो नामित अधिकारी की उपस्थिति में उसी तिथि को यथास्थिति सरपंच या उप सरपंच का चुनाव भी संपन्न किया जाएगा। ऐसा होने के तीन दिवस के अंदर अवि वास प्रस्ताव तथा नए पदधारक के चुनाव पर उप जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन की तिथि से वर्तमान पदधारक पद्च्युत व नव निर्वाचित सदस्य पदस्थापित माना जाएगा। उप जिलाधिकारी द्वारा नियम 11 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी सूचना सार्वजनिक की जाएगी।
		(ख)	यदि वन पंचायत के किसी सदस्य को (जिसमें सरपंच व उप सरपंच भी सम्मिलित हैं) वन पंचायत आम सभा के न्यूनतम एक–तिहाई सदस्य हटाना आवश्यक समझें तो उनके द्वारा इस संबंध में एक लिखित व हस्ताक्षरित प्रस्ताव उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी के आदे ाांतर्गत वन पंचायत आम सभा की एक बैठक उनके द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में आहूत की जाएगी, जिसमें कथित सदस्य को पद से हटाए जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी एवं नियम 9 (क) के अनुसार मतदान कराया जाएगा। यदि बहुमत द्वारा

			सदस्य को हटाने के पक्ष में मतदान होता है तो तत्समय विधिवत नए सदस्य का चयन किया जाएगा एवं वन पंचायत आम सभा द्वारा पारित दोनों प्रस्तावों पर उप जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार उप जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त अनुमोदन की तिथि से नवनिर्वाचित सदस्य का कार्यकाल प्रारम्भ होगा जो वन पंचायत के अव ेश अवधि तक के लिए होगा। ऐसी स्थिति में जिस सदस्य के विरूद्ध मतदान किया गया हो, उसे उप जिलाधिकारी के अनुमोदन की तिथि से पद्च्युत माना जाएगा। पद्च्युत एवं पदस्थापित सदस्यों की सूचना नियम 11 में निर्धारित प्रकिया द्वारा सार्वजनिक की जाएगी।
		(ग)	उपर्युक्त उप नियम (क) एवं (ख) की कार्यवाही से क्षुब्ध सदस्य या अधिकारधारी नियम 12 के अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।
वन पंचायत के कर्तव्य	20.		अपने क्षेत्राधिकार में वन पंचायत के कर्तव्य निम्नवत् होंगे :—
		(क)	पंचायती वन हेतु पांच वर्षों के लिए सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) एवं वार्षिक क्रियान्वयन योजना बनाना तथा उसे यथा समय वन क्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
		(ख)	वृक्षों को क्षति पहुंचाये जाने से रोकना और उन्हीं वृक्षों को उपयोग में लाना जो सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा माइक्रोप्लान में निर्दिश्ट व वनवर्धन की दृष्टि से पातन के लिये चिह्नित / छपान किये गये हों।
		(ग)	यह सुनिश्चित करना कि पंचायती वन क्षेत्र में किसी भूमि पर अतिक्रमण न हो एवं पुराने अतिक्रमण को हटाने हेतु वैधानिक कार्यवाही करना।
		(घ)	सीमा स्तम्भ लगाना, एवं उनकी सुरक्षा करना।
		(ङ)	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वनों के संरक्षण एवं सुधार हेतु दिये गए निर्देशों और कार्यकारी आदेशों का पालन करना।
		(च)	अधिकारधारियों के सर्वोत्तम लाभ हेतु पंचायती वन के वन वर्धनीय स्वास्थ्य एवं धारणीय संसाधन प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए वन उपज का उपयोग करना।

		(छ)	वृक्षों के अवैध पातन, शाखाकर्तन, अग्नि या अन्य प्रकार की क्षति से वनों को बचाना तथा संरक्षण करना।
		(ज)	यह सुनिश्चित करना कि जल स्रोतों के जलागम क्षेत्र उपयुक्त वृक्ष एवं वानस्पतिक आवरण से ढके रहें ताकि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो।
		(झ)	वनाग्नि प्रबन्धन एवं नियंत्रित चुगान, जिसमें कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्र चराई हेतु प्रतिवर्ष चक्रीय रूप से बन्द रहे, के द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना।
		(ञ)	वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
		(ट)	यह सुनि चत करना कि पंचायती वन क्षेत्रों के अन्दर गंदगी/कूड़ा/अपि ाश्ट जमा न हो। यदि ऐसा होता है तो दोशी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना।
		(ठ)	वन पंचायत क्षेत्र तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जड़ी–बूटी, गैर प्रकाश्ठ वन उपज एवं स्थानीय प्रजातियों/ जैव विविधता का संरक्षण एवं सम्वर्धन करना।
		(ड)	पंचायती वन पौध ाला की स्थापना करना एवं पंचायती वन संपदा का अनुरक्षण करना।
		(ढ)	आक्रामक विदे ी प्रजातियों का उन्मूलन/ उपयोग करना।
		(ण)	पंचायती वन के अधिकारधारियों एवं वन उपयोगकर्ताओं की सूची संधारित करना।
		(त)	मानव वन्य–जीव संघर्श की समस्या से निपटने के लिए आव यक कदम उठाना।
		(थ)	ईको–टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना।
वन पंचायत के अधिकार	21.		वन पंचायत के अधिकार वन अधिकारी के अधिकार के अनुरूप होंगे और वह अपने अधिकारित क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगीः–
		(क)	पंचायती वन के भीतर किये गये अपराधों के विरूद्ध तत्परता से कार्यवाही करना। यदि अपराधी मामले का प्रभामन करने को तैयार हो,

			तो नियमानुसार प्रभामन की कार्यवाही करना। साथ ही अपराध में अर्न्तग्रस्त सम्पत्ति का पूरा बाजार मूल्य वसूल करना जो कि सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा विहित दर के अनुरूप हों। वन उत्पाद यदि बरामद योग्य न हो तो, सम्पत्ति के दोगुने मूल्य के साथ प्र ामन धनराि ा को जोड़ते हुये प्र ामन की कार्यवाही की जायेगी। प्रशमन योग्य वन अपराधों, जिसमें अभियुक्त प्र ामन हेतु तैयार नहीं है तथा गैर प्र ामन योग्य वन अपराध के सम्बन्ध में वन पंचायत द्वारा लिखित रूप से राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी **(आरक्षित वनों में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं सिविल सोयम वनों में संबंधित उपजिलाधिकारी)** को सूचना प्रदान करना ताकि आव यक वैधानिक कार्यवाही संपन्न हो सके।
		(ख)	इस नियमावली के अन्तर्गत उठने वाले दावों के सम्बन्ध में वाद तथा कार्यवाहियों को संस्थित करना एवं उनका प्रतिवाद करना।
		(ग)	पंचायती वनों के अन्दर प ुओं के चराई एवं प्रवेश को नियंत्रित करना।
		(घ)	पंचायती वनों में अतिचार करने वाले पशु को पशु अतिचार अधिनियम 1871 के अनुसार रोकना।
		(ङ)	किसी अधिकारधारी या वन उपयोगकर्ता को जिसे वन पंचायत पर्याप्त कारण से क्षेत्र में आग लगाने या क्षति होने के लिये जिम्मेदार समझे या जो वन पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, पंचायती वन के किसी या सभी विशेषाधिकार से अपवर्जित करना।
		(च)	पंचायती वन क्षेत्र के अन्तर्गत वन अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजारों एवं हथियारों को अभिग्रहित करना।
		(छ)	ाासन द्वारा जारी निर्दे ाों के अनुरूप कीड़ा–जड़ी एवं अन्य वन उपज का विदोहन, बिक्री एवं निस्तारण करना।
		(ज)	उत्तर प्रदेश लीसा एवं अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 (जो उत्तराखण्ड में प्रवृत है) के प्राविधानों के अधीन लीसा का छेवन तथा बिक्री करना।
		(झ)	वन उपयोगकर्ता समूह / स्वयं सहायता समूह अथवा

			किसी सरकारी व गैर सरकारी इकाई/संस्था के साथ पंचायती वन व उसमें पाए जाने वाले वन्यजीवों के समुचित प्रबन्धन, संवर्धन, सुरक्षा, विकास व ईकोटूरिज्म को दृष्टिगत रखते हुए वन पंचायत आम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर अनुबन्ध करना, किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि ऐसा अनुबंध किसी व्यक्ति वि ोश के साथ नहीं किया जाएगा। प्रदे ा से बाहर की किसी इकाई/ संस्था से अनुबन्ध करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
		(ञ)	मानव वन्यजीव संघर्श की घटनाओं की रोकथाम व त्वरित निस्तारण हेतु वन पंचायत भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा सं ाोधित) के अंतर्गत सक्षम स्तर (मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/उप वन्यजीव प्रतिपालक/वन्यजीव प्रतिपालक/ सहायक वन्यजीव प्रतिपालक) से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही करेगी, जिस हेतु वन पंचायत निधि का उपयोग कर सकता है।
उप विधियां बनाने की शक्ति	22.		वन पंचायत वन उपज का उसके अधिकारधारियों के बीच वितरण करने, चुगान को विनियमित करने, घास काटने और ईधन की लकड़ी एकत्र करने, अपने प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के लिए फीस लेने और इस नियमावली से संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपविधियां बना सकती है। उप विधियां वन पंचायत आम सभा द्वारा दी गई सहमति के पश्चात सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित करने पर ही प्रभावी होंगी।
वन पंचायत द्वारा पारित संकल्प, निर्देश या आदेश के निष्पादन को प्रतिषिद्ध, विखण्डित या उपांतरित करने की शक्ति	23.		प्रभागीय वन अधिकारी किसी वन पंचायत द्वारा या उनके किसी अधिकारी द्वारा पारित संकल्प, निर्देश या आदेश के निष्पादन को लिखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध, विखण्डित अथवा उपांतरित कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प, निर्देश या आदेश इस प्रकार का है जिससे लोकहित विपरीत रूप से प्रभावित होता है या स्थानीय पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचती है अथवा जो इस नियमावली के उपबन्धों के प्रतिकूल है।
संविदा पर कर्मियों की तैनाती	24.		वन पंचायत ऐसे कर्मियों, जो आवश्यक समझे जायें, को मानदेय/ संविदा पर इस प्रतिबन्ध के साथ कार्ययोजित कर सकती है कि पंचायती वन निधि में ऐसे कर्मियों को संविदा अवधि में भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध हो। ऐसे संविदा/मानदेय कर्मियों को कार्य से एक माह के नोटिस या एक माह का मानदेय भुगतान

			कर हटाने की शक्ति भी संबंधित वन पंचायत में निहित होगी।
सरपंच एवं उप सरपंच का कर्तव्य	25.	(क)	जब तक किसी युक्तियुक्त कारण से सरपंच असमर्थ न हो, उसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगेः– i. वन पंचायत की सभी बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना। ii. वन पंचायत से संबंधित कार्यों पर नियंत्रण रखना और उसे संचालित करना तथा व्यवस्था बनाये रखना। iii. वन पंचायत की वित्त व्यवस्था की देख भालकरना और उसके प्रशासन का पर्यवेक्षण करना तथा उसमें पाई गई किसी त्रुटि को जानकारी में लाना। iv. वन पंचायत द्वारा रखे गए संविदा कर्मियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। v. वन पंचायत के संकल्पों एवं उपलब्ध बजट के अन्तर्गत सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) व वार्शिक कार्ययोजना को कार्यान्वित करना। vi. इस नियमावली में विहित विभिन्न रजिस्टरों को रखने की व्यवस्था करना। vii. वन पंचायत की ओर से यथा आव यकता वाद संस्थित करना और अभियोग चलाना। viii. अपनी अनुपस्थिति में सरपंच के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उप सरपंच को निर्दिष्ट करना। ix. इन नियमावली के अधीन, सरपंच को सौंपें गये कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए सरपंच को वन पंचायत की स्वीकृति की प्रत्या ा में, पंचायती वन निधि से प्रत्येक वित्तीय वर्श में अधिकतम रू0 10,000/– या भाासन द्वारा निर्धारित सीमा तक अग्रिम धनरा ा का आहरण एवं व्यय करने की भाक्ति होगी, जिसका अनुमोदन वन पंचायत की आगामी बैठक में प्राप्त करना आव यक होगा। x. इस नियमावली के नियम 34 के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कराए गए कार्यों के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को ससमय भुगतान करना।
		(ख)	उप सरपंच के कर्तव्य

			सरपंच की अनुपस्थिति में वित्तीय अधिकारों को छोड़कर सरपंच की सभी प्र ाासनिक शक्तियों का प्रयोग उप सरपंच करेगा तथा सभी कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो उसे नियमावली के अधीन प्रदत्त या सौंपे गये हैं।
सचिव एवं अपर सचिव का कर्तव्य	26.	(क)	वन पंचायत सचिव के निम्न कर्तव्य होंगेः– i. सरपंच द्वारा आहूत वन पंचायत की सभी बैठकों की सूचना देना तथा तत्संबंधी सूचनाओं को सरपंच, उप सरपंच व वन पंचायत सदस्यों को उपलब्ध कराना। ii. वन पंचायत की बैठकों के संचालन हेतु सरपंच को आव यक सहयोग प्रदान करना तथा बैठकों का कार्यवृत तैयार करना। iii. इस नियमावली में विहित विभिन्न रजिस्टरों का रख–रखाव करना तथा वन पंचायत की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना। iv. वन पंचायत तथा स्थानीय वन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। v. वन पंचायत के अधिकारधारियों एवं वन उपयोगकर्ता समूहों से सम्बन्धित सभी कार्य। vi. अतिक्रमण एवं बेदखली संबंधी कार्य। vii. वन पंचायत के गठन, सीमांकन, आय–व्यय व अन्य कार्यों से संबंधित अभिलेखों को संधारित करना तथा पंचायत के सरपंच की अभिरक्षा में रखवाना। viii. वन पंचायत की रोकड़ बही को संधारित कर रख–रखाव करना एवं बैंक खाते का सरपंच के साथ संयुक्त रूप से संचालन करना।
		(ख)	अपर सचिव द्वारा सचिव के कार्यों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
सरपंच का त्यागपत्र	27.		किसी वन पंचायत का सरपंच पद त्याग करने हेतु अपना लिखित त्यागपत्र जिस पर उसका हस्ताक्षर हो और जो स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उप जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दे सकता है

			या डाक/Email द्वारा भेज सकता है और त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा। सरपंच द्वारा रिक्ति की तिथि को ही अपना कार्यभार उप सरपंच को सौंपा जाएगा एवं उस तिथि से नए सरपंच के चुनाव तक उप सरपंच द्वारा कार्यवाहक सरपंच के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
सरपंच के पद का कार्यभार सौंपना एवं कार्यभार ग्रहण करना	28.		जब कभी भी सरपंच का कार्यभार सौंपा जाये, सभी अभिलेखों, निधियों और सम्पत्ति की एक सूची तैयार की जायेगी और कार्यभार सौंपने एवम् ग्रहण करने वाले व्यक्ति सूची के ठीक होने के प्रमाण स्वरूप उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इस सूची की प्रतिलिपि कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा उपजिलाधिकारी तथा वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी को दी जायेगी। यदि किसी अभिलेख, निधि या सम्पत्ति के संबंध में कोई विवाद हो तो दोनों व्यक्तियों को कार्यभार सूची के अन्त में अपनी अभ्युक्ति लिखने का अधिकार होगा।
वन उपयोगकर्ता के अधिकार एवं कर्त्तव्य	29.	(क)	अधिकारः
			उन पंचायती वनों में जो आरक्षित वनों से बने हैं, केवल उन व्यक्तियों को उपयोगकर्ताओं के अधिकार अनुमन्य होंगें जो नियम 2(ट) से आच्छादित हैं; अन्य प्रकार की वन भूमि पर गठित वन पंचायतों में यह अधिकार नियम 2(ठ) से आच्छादित व्यक्तियों को प्राप्त होगा।
		(ख)	कर्तव्य
			जिन व्यक्तियों को नियम 29 (क) के तहत उपयोगकर्ता के अधिकार अनुमन्य हैं, उनके कर्तव्य निम्न प्रकार होगें: i. सम्बन्धित पंचायती वन में अग्नि दुर्घटना होने पर उसके शमन हेतु सहयोग देना। ii. सम्बन्धित पंचायती वन में किसी भी प्रकार के वन अपराध यथा–अतिक्रमण, अवैध चराई अथवा अवैध खनन एवं पातन होने पर उक्त की सूचना वन पंचायत को अविलम्ब देना।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>iii. सम्बन्धित पंचायती वन में पूर्व से स्थापित अथवा वन पंचायत द्वारा किये गये रोपण कार्यों की सुरक्षा हेतु सहयोग देना।
iv. समय–समय पर वन पंचायत द्वारा लिए गए निर्णयों एवं दि ाा–निर्दे ाों के अनुपालनार्थ आव यक सहयोग देना।
v. वन पंचायत के अतर्गत जल स्रोतों की सुरक्षा एवं अनधिकृत उपयोग पर नियंत्रण करना।
vi. वन पंचायत के विनि चयों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।</td></tr>
<tr><td colspan="4"><u>अध्याय–4</u>
<u>कार्य योजनाएं</u></td></tr>
<tr><td>संहत प्रबन्ध योजना (Composite Management Plan)</td><td>30</td><td></td><td>जनपद के नोडल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जनपद की समस्त पंचायती वनों के लिये संहत प्रबंध योजना बनाई जाएगी। यह योजना भाासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दि ाा–निर्दे ाों एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप होगी तथा योजना अवधि 10 वर्ष की होगी। योजना तैयार करते समय वर्किंग प्लान कोड का भी संज्ञान लिया जाएगा। इस संबंध में जनपद में कार्यरत अन्य प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित वन पंचायतों के संबंध में संहत प्रबन्ध योजना को तैयार करने हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट नोडल प्रभागीय वनाधिकारी को यथा समय भेजेंगे। संहत प्रबन्ध योजना में वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने बावत वन क्षेत्रों में वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्यों को भी समाहित किया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई योजना व भविश्य में योजना में प्रस्तावित किसी सं ाोधन पर निम्नानुसार गठित ''अनुमोदन समिति'' की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी–
<table>
<tr><td>1.</td><td>प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मुख्य वन संरक्षक, उपयोग, एन.टी.एफ.पी. एवं आजीविका</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म एवं प्रचार–प्रसार</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>मुख्य वन संरक्षक, प्र ाासन,</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रमुख वन संरक्षक– वन्यजीव</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td>नामित दो सामुदायिक वानिकी / विशय वि ोशज्ञ</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>संबंधित जिला वन पंचायत पराम ादात्री समिति के अध्यक्ष</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>10.</td><td>मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिकी वानिकी, उत्तराखण्ड</td><td>सदस्य सचिव</td></tr></table> ''अनुमोदन समिति'' की बैठक वर्श में कम से कम 2 बार (यथासंभव माह जून एवं दिसम्बर में) आहूत की जाएगी, जिसमें संहत प्रबन्ध योजनाओं के अनुमोदन व पंचायती वनों से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
सूक्ष्म योजना (Micro Plan)	31.	(क)	वन पंचायत सरपंच द्वारा वन क्षेत्राधिकारी एवं सचिव के सहयोग से संहत प्रबन्ध योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) निम्नानुसार तैयार की जाएगीः– i. सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) पांच वर्शों की अवधि के लिए बनाई जाएगी, जिसमें पंचायती वन की सुरक्षा, विकास, पारिस्थितिकी सन्तुलन व पर्यावरणीय संरक्षण के साथ–साथ अधिकारधारियों तथा उपयोगकर्ताओं की आव यक्ताओं एवं वन उपज के विदोहन व प्रबंधन का वि ोश ध्यान रखा जाएगा। ii. उक्त सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) पर वन पंचायत आम सभा का अनुमोदन वन पंचायत सचिव द्वारा विधिवत प्राप्त किया जाएगा। तत्प चात सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) पर उप प्रभागीय वनाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। स्वीकृत सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) की प्रति उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेशित की जाएगी। वन पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि इस प्रकार अनुमोदित सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) का वह कठोरता से पालन करें। iii. स्वीकृत सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) में यदि सं ोधन की आव यक्ता हो तो इस हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाएगी । iv. गतिमान सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) की अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व आगामी सूक्ष्म

			योजना (माइक्रोप्लान) तैयार करने की कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रारंभ की जाएगी।
		(ख)	सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) में विभिन्न वित्तीय स्रोतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्यों का पृथक–पृथक उल्लेख किया जायेगा जिसमें यथास्थिति निम्नलिखित भी भाामिल होंगेः– i. अपनी आय यथा वन उपज, पंचायती वन पौध ाला की पौध के विक्रय, अनुज्ञा फीस आदि से प्राप्त धनरा ा। ii. वन विभाग एवं अन्य राजकीय विभाग की योजनाएं। iii. ग्राम पंचायत/नगर निकाय/ हरी विकास योजनाएं। iv. केन्द्र एवं बाह्य वित्त पोशित योजनाएं। v. अन्य स्रोतों यथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility), सांसद/विधायक निधि, अनुबन्ध रा ा आदि से प्राप्त अनुदान अथवा धनराशि।
वित्त पोशण हेतु परियोजनाओं का निरूपण	32.		उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी तथा वन पंचायत के सरपंच एवं सचिव के सहयोग से सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) के कार्यान्वयन हेतु समय से राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न इकाईयों यथा वन विभाग, वन निगम, राश्ट्रीय औशधीय पादप बोर्ड, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि, द्वारा वित्त पोशित योजनाओं के अन्तर्गत प्रोजेक्ट तैयार कर वन पंचायत आम सभा से विधिवत अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित संस्था को वित्त–पोशण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
वार्षिक कार्य– योजना	33.		वन पंचायत के सचिव द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्शिक कार्य–योजना तैयार किया जाएगा, जिसमें कार्य–योजना के वित्त पोशण हेतु चिह्नित स्रोतों का पृथक–पृथक उल्लेख होगा। इस प्रकार तैयार की गई कार्य–योजना पर वन पंचायत आम सभा की विधिवत सहमति के उपरांत संबंधित वन क्षेत्राधिकारी का अनुमोदन पूर्ववर्ती वर्श के 31 दिसम्बर तक प्राप्त किया

			जाएगा। अनुमोदित वार्शिक कार्ययोजना की प्रति वन क्षेत्राधिकारी द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को भेजा जाएगा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्ययोजना में सम्मिलित ऐसे कार्यों, जो अन्य विभागों द्वारा किए जाने हेतु प्रस्तावित हों, के अंतर्विभागीय समन्वय व अभिसरण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को भेजा जाएगा तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इनका परीक्षण एवं संकलन कर जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।
वन पंचायत के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य का निष्पादन	34.		यदि आव यक धनरा ा की उपलब्धता के बावजूद कोई वन पंचायत सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान)/ वार्शिक कार्य–योजना द्वारा विहित कोई कार्य निर्धारित अवधि में नही करती है, तो अति आव यक होने पर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी ऐसे कार्य का निशपादन वन पंचायत के व्यय पर करा सकता है।
अध्याय–5 **वन उपज का विदोहन, मूल्य संवर्द्धन एवं उद्यमिता विकास**			
वन उपज का विदोहन एवं उपयोग	35.	(क)	पंचायती वन से किसी वन उपज का समुपयोजन सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) के प्राविधानों की सीमा तक तथा स्थानीय पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
		(ख)	अधिकारधारियों के स्थापित रूढ़ि द्वारा प्राप्त समस्त अधिकार, जैसे– गिरे पड़े ईधन को एकत्र करना, वृक्षों की शाखा कर्तन (केवल अनुमन्य चारा प्रजातियों का संगत सीजन/अवधि में), घास की कटाई आदि, सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) के प्राविधानों के अधीन शासित होते रहेंगे।
		(ग)	उपनियम (ख) के अधीन आवश्यकताएं पूर्ण होने के प चात् वन पंचायत प्रस्ताव पारित कर अपने ग्राम से संबंधित वन उपयोगकर्ता समूह/स्वयं सहायता समूह को मूल्य संवर्धन हेतु या उक्त ग्राम के अंतर्गत स्थापित कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग या ग्राम के सार्वजनिक उपयोग हेतु उचित व निर्धारित दरों पर प्रकाश्ठ एवं अन्य वन उपज (गैर विनाशकारी गैर प्रकाश्ठ वन उपज एवं भाासन द्वारा संग्रहण हेतु चिह्नित औशधीय महत्व की छूट प्रजातियों को छोड़कर) का उपनियम (क) में

			निर्धारित सीमा से अनाधिक तक विक्रय / निस्तारण कर सकती है, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी का पूर्वानुमोदन आव यक होगा। इससे प्राप्त धनरा ि पंचायती वन निधि में जमा की जायेगी।
		(घ)	उपनियम (ख) के अधीन आव यकतायें पूर्ण होने के प चात वन पंचायत द्वारा अपने ग्राम से संबंधित वन उपयोगकर्ता समूह / स्वयं सहायता समूह को मूल्य संवर्धन हेतु या उक्त ग्राम के अंतर्गत स्थापित कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग या ग्राम के सार्वजनिक उपयोग के लिए उचित एवं निर्धारित दरों पर गैर विनाशकारी गैर प्रकाश्ठ वन उपज एवं भाासन द्वारा संग्रहण हेतु चिह्नित औशधीय महत्व की छूट प्रजातियों का विदोहन उपनियम (क) में निर्धारित सीमा से अनाधिक तक कर सकती है, बशर्ते वन पंचायत द्वारा इस आ ाय के प्रस्ताव पर विधिवत् अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो। इस प्रकार के वन उपज के विकय / निस्तारण हेतु वन पंचायत अनुज्ञा पत्र जारी करेगी एवं निर्धारित फीस / आय पंचायती वन निधि में जमा करायेगी।
		(ङ)	उपनियम (ख) एवं (ग) के अधीन आवश्कताओं की पूर्ति के पश्चात् अगर वन पंचायत अपनी बैठक में विचार–विम र्ा के उपरांत बहुमत से इस निश्कर्श पर पहुंचती है कि उनके वन में वाणिज्यिक बिक्री हेतु वन वर्धन की दृश्टि से समुपयोज्य वृक्ष या अन्य वन उपज (गैर विनाशकारी गैर प्रकाश्ठ वन उपज एवं भाासन द्वारा संग्रहण हेतु चिह्नित औशधीय महत्व की छूट प्रजातियों को छोड़कर) भोश बची है, तो उपनियम (क) में निर्धारित सीमा से अनाधिक तक वह वन क्षेत्राधिकारी को ऐसे वन उपज के वाणिज्यिक बिकी हेतु आवेदन करेगी। वन क्षेत्राधिकारी मूल्य का आंकलन करते हुए उक्त आवेदन पत्र को अपनी संस्तुति सहित प्रभागीय वन अधिकारी को प्रेशित करेगा। आवेदन पत्र पर प्रभागीय वन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के प चात् वृक्षों या अन्य वन उपज के विदोहन तथा नीलामी के द्वारा उनके विकय की कार्यवाही सहायक वन संरक्षक / उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी और विकय द्वारा प्राप्त धनरा ि पंचायती वन निधि में जमा की जाएगी।

		(च)	उप नियम (ख) एवं (घ) के अधीन आव यक्ताओं की पूर्ति के प चात वन पंचायत द्वारा गैर विनाशकारी गैर प्रकाश्ठ वन उपज एवं भाासन द्वारा संग्रहण हेतु चिह्नित औशधीय महत्व की छूट प्रजातियों के वाणिज्यिक विक्रय हेतु प्रजातियों का विदोहन उपनियम (क) में निर्धारित सीमा से अनाधिक तक कर सकती है, बशर्ते वन पंचायत द्वारा इस आ ाय के प्रस्ताव पर विधिवत् अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो। विक्रय से प्राप्त धनराि ा पंचायती वन निधि में जमा कराई जाएगी।
		(छ)	उपर्युक्त उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में सरपंच, वन विभाग द्वारा जारी अनुसूचित दरों पर, अधिकारधारियों के अत्यन्त आवश्यक सार्वजनिक उपयोग अथवा घरेलू उपयोग हेतु एक वित्तीय वर्श में एक वृक्ष की बिक्री की स्वीकृति दे सकता है, किन्तु किसी वित्तीय वर्श में ऐसी कोई वि ोश परिस्थिति उत्पन्न न होने की द ाा में आगामी तीन वित्तीय वर्शों तक इस सुविधा को संचित किया जा सकता है एवं यदि आव यक हो तो आगामी तीन वर्शों तक की सुविधा का अग्रिम उपयोग भी किया जा सकता है; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, I. उपर्युक्त आ ाय के प्रस्ताव पर वन पंचायत का विधिवत् अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो; तथा II. पातन के पूर्व वन क्षेत्राधिकारी द्वारा ऐसे वृक्ष/वृक्षों को मार्किंग हैमर से चिह्नित कर दिया गया होय विक्रय से प्राप्त धनराि ा पंचायती वन निधि में जमा की जायेगी। (ज) लीसा, कीड़ा–जड़ी, उप–खनिज/खनिज आदि जिनके लिए पृथक से भाासनादे ा/नियमावली/ अधिनियम प्रचलित है, उनका समुपयोजन एवं निस्तारण तद्नुसार व्यवहृत होगा। (झ) उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुरूप संबंधित ग्राम/वन पंचायत क्षेत्र से बाहर समस्त वन उपज के अभिवहन हेतु अधिकृत वन क्षेत्राधिकारी द्वारा राश्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली (National Transit Pass System- NTPS) के अन्तर्गत अभिवहन पास जारी किया जायेगा।

वन उपज का मूल्य संवर्धन	36	(क)	पंचायती वन के अन्तर्गत उपलब्ध वन उपज के मूल्य संवर्धन हेतु वन पंचायत द्वारा आव यक प्रबन्धन एवं प्रि ाक्षण की कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न वन उपज के संग्रहण एवं मूल्य संवर्द्धन की समय सारिणी तैयार की जायेगी। यह कार्य वन उपयोगकर्ता समूह या स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा सकता है, जैसा वन पंचायत द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाए।
		(ख)	आक्रामक विदे ी प्रजातियों के उपयोग हेतु यदि वन उपयोगकर्ता समूह/स्वयं सहायता समूह/ एन0जी0ओ0 /पंजीकृत एजेन्सी/ राजकीय संस्था प्रस्ताव देती है, तो वन पंचायत द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है, यदि वन पंचायत द्वारा बहुमत से सहमति प्रदान कर दी जाए।
		(ग)	बॉज टसर रे ाम – जिन वन पंचायतों में बॉज के जंगल हैं, वहां पर बॉज की पत्तियों से रे ाम कीट पालन, कोया उत्पादन, रे ाम की कताई एवं बुनाई को प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कार्य वन उपयोगकर्ता समूह या स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा सकता है, जैसा वन पंचायत द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाए।
उद्यमिता विकास द्वारा वन उत्पादों से पुश्टाहार–पूरकों, औशधीय–पूरकों एवं सौदर्य प्रसाधनों का विकास	37.		वन पंचायतों में वन उपज आधारित उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि हो एवं निकट भविश्य में वे आर्थिक दृश्टि से स्वावलम्बी बन सकें। इसके लिये गैर विना ाकारी गैर प्रकाश्ठ वन उपज से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को निर्माण किया जायेगा– i. पुश्टाहार पूरक– दाडिम, ममोर, अमे ा/चूक, घिंघारू, मेहल, काफल, च्यूरा, हिसालू, जमनोई, पचनाला, भाहद आदि से विभिन्न प्रकार के जैम, स्कवा ा/ ारबत, सिरका, गुच्छी म ारूम एवं अन्य म ारूम आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा। ii. औशधीय पूरक– तेजपात, ऑवला, तिमूर, बिच्छू घास, भैकल आदि से मसाला, चाय, तेल,आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा। सौंदर्य प्रसाधन– सुरई, वन तुलसी, वन अजवाइन, रीठा, केदारपाती, आर्टिमीसिया (कुंजा/पाती) आदि से सुगन्धित तेलों, शैम्पू,

			क्रीम आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
पंजिकाओं एवं अभिलेखों का रख रखाव	38.		प्रत्येक वन पंचायत ऐसे पंजिकाओं तथा अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिये अद्यतन रखेगी जो राज्य सरकार या जिलाधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी या संहत प्रबन्ध योजना/सूक्ष्म योजना द्वारा विहित की जाये।
वन पंचायत के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन	39	(क)	वन पंचायत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संपादित अपने कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 जून या इसके पूर्व वन क्षेत्राधिकारी के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करेगी जो अपने क्षेत्र की संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वन पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचनायें सम्मिलित होंगीः— i. पंचायती वन निधियों के उपयोग का विवरण। ii. मांग तथा वसूली का विवरण। iii. आय और व्यय का विवरण। iv. वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये वन उपज उपयोग (चाहे वे वाणिज्यिक उपयोग के लिये हो अथवा वन उपयोगकर्ता समूह/ स्थानीय उद्योग द्वारा उपयोग के लिए हों अथवा अधिकारधारियों के वास्तविक घरेलू उपयोग के लिए हों), पातन, वनवर्धन, पुनरोत्पादन, पुनराप्ति आदि कार्यों का विवरण। v. सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) में विहित कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से किए गए कार्यों का विवरण।

			vi. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं यथा सांस्कृतिक सेवा, प्रावधान सेवा, नियामक सेवा आदि का विवरण। vii. अन्य कोई महत्वपूर्ण विवरण।
		(ख)	वन पंचायत अपने कार्यों एवं आय–व्यय के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष एक प्रस्तुतीकरण वन पंचायत आम सभा की बैठक में करेगी।
अध्याय–6 **निलम्बन, विघटन एवं पुनर्गठन**			
सदस्य, उप सरपंच या सरपंच का निलम्बन	40.		जहाँ वन पंचायत के किसी सदस्य, उप सरपंच अथवा सरपंच के विरूद्ध कोई जांच अपेक्षित हो या की जा रही हो, वहाँ जिलाधिकारी वन पंचायत के ऐसे सदस्य, उप सरपंच अथवा सरपंच को निलम्बित कर सकता है और उसे यह आदेश दे सकता है कि उक्त समिति के अभिलेख, धनराशि या कोई अन्य सम्पत्ति वह जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दे।
वन पंचायत के सदस्य, उप सरपंच या सरपंच का हटाया जाना	41.		जिलाधिकारी स्वयं या कोई शिकायत प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी से जांच कराने के उपरांत, वन पंचायत के किसी सदस्य, उप सरपंच या सरपंच को हटा सकता है यदि वह इस नियम के निम्न खण्डों के अन्तर्गत कोई अयोग्यता अर्जित कर लेः– i. वह कार्य करने से इन्कार करे अथवा किसी कारणवश कार्य करने में अयोग्य हो जाए अथवा जिसके विरूद्ध नैतिक पतन से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाए। ii. उसने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में गंभीर चूक की हो। iii. वह किसी वन अपराध में दोषी पाया जाए। iv. वह वन पंचायत की बैठक में दुर्व्यवहार करे या शारीरिक बल का प्रयोग करे। v. वह बिना किसी पर्याप्त कारण के वन पंचायत की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे। परन्तु वन पंचायत का कोई सदस्य, उप

			सरपंच या सरपंच तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दिया जाये कि क्यों न उसे उसके पद से हटा दिया जाये।
नियम 40 एवं 41 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील	42.		नियम 40 एवम् 41 के अन्तर्गत दिये गये आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश के दिनांक स 30 दिनों के भीतर मंडलायुक्त को अपील कर सकता है। मण्डलायुक्त द्वारा यथा सम्भव 60 दिनों के अन्दर अपील को निस्तारित किया जायेगा।
सरपंच के पद का कार्यभार सौंपना	43.		त्यागपत्र, हटाये जाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर या निलम्बन की स्थिति में सरपंच अपना कार्यभार, उप सरपंच अथवा उप सरपंच की अनुपलब्धता की द ा में उप जिलाधिकारी द्वारा नामित वन पंचायत के सदस्य को, वन पंचायत के अभिलेखों तथा निधियों व परिसम्पत्तियों की सूची सहित सौंप देगा।
नए सरपंच, उप सरपंच एवं सदस्य का चुनाव	44.		उपर्युक्त परिस्थितियों अथवा किसी अन्य कारणव ा सरपंच, उप सरपंच अथवा किसी सदस्य का पद, कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व ही, रिक्त हो जाए तो रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर उप जिलाधिकारी द्वारा यथास्थिति नए पदाधिकारी सरपंच, उप सरपंच या सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया इस नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण की जाएगी एवं नव–निर्वाचित सरपंच, उप सरपंच एवं सदस्य का कार्यकाल वन पंचायत की अव ेश अवधि के लिए होगा। किन्तु प्रतिबंध यह है कि रिक्ति की तिथि एवं पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि में छः माह से कम का अंतराल हो, तो रिक्ति को भरने की आव यकता नही होगी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्यवाहक व्यवस्था की जा सकेगी।
वन पंचायत का निलम्बन, अतिक्रमण या विघटन	45.		जिलाधिकारी किसी वन पंचायत को निलम्बित कर सकता है, अतिक्रमित कर सकता है या विघटित कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसी वन पंचायत अपनी भाक्तियों का दुरूपयोग करती है अथवा वह इस नियमावली के अधीन कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है या उसका बना रहना लोकहित में वांछनीय नहीं पाया जाता है।
नियम 45 के अधीन पारित आदे ा का पुनरीक्षण	46.		नियम 45 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश मंडलायुक्त द्वारा पुनरीक्षणीय होगा ब र्ते उक्त आदे ा के पारित होने के 30 दिनों के भीतर पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र मंडलायुक्त को प्रस्तुत कर दिया जाए। मण्डलायुक्त द्वारा यथा सम्भव 60 दिनों के अन्दर अपील का

			निस्तारण किया जायेगा।
वन पंचायत का अस्थाई प्रबन्धन	47.		जब कोई वन पंचायत विघटित, निलम्बित या अतिक्रमित कर दी जाये तब नयी वन पंचायत के पुनर्गठन/पुनर्स्थापन होने तक के लिये पंचायती वन के अस्थायी प्रबन्धन हेतु जिलाधिकारी किसी अधिकारी, जो वन क्षेत्राधिकारी से निम्न स्तर का न हो, को नियुक्त कर सकता है।
वन पंचायत का पुनर्स्थापन/ पुनर्गठन	48.		जिलाधिकारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि नियम संख्या–45 के अन्तर्गत वन पंचायत के निलम्बन, अतिक्रमण या विघटित होने की तिथि क 6 माह के भीतर या तो वन पंचायत का पुनर्स्थापन करें अथवा नई वन पंचायत का गठन करें।
अध्याय–7 **आय और व्यय**			
पंचायती वन निधि	49.	(क) (ख)	प्रत्येक वन पंचायत के लिये एक पंचायती वन निधि की स्थापना की जायेगी और निम्न स्रोतों से प्राप्त आय/अनुदान/पूंजी उसमें जमा की जायेगी:– (i) अपनी आय यथा वन उपज व पंचायती वन पौध ाला में उगाई गई पौध के विक्रय से प्राप्त धनराि ा, अनुज्ञा फीस आदि। (ii) वन विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराि ा। (iii) ग्राम पंचायत/नगर निकाय/ ाहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराि ा। (iv) जिला, राज्य, केन्द्र एवं वाहय पोशित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराि ा यथा कैम्पा (CAMPA), CAT (Catchment Area Treatment) प्लान आदि। (v) अन्य स्रोतों यथा सी0 एस0 आर0 (Corporate Social Responsibility), सी0 ई0 आर0 (Corporate Environment Responsibility), Carbon Credit, Green Credit, सांसद/विधायक निधि, अनुबन्ध राि ा आदि से प्राप्त अनुदान अथवा धनराशि। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि को वन पंचायत के नाम पोस्ट ऑफिस/राश्ट्रीयकृत बैंक/ अनुसूचित बैंक/ सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर जमा की

			जायेगी और इसका संचालन सरपंच और वन पंचायत के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
		(ग)	पोस्ट ऑफिस/बैंक से धनराि ा का आहरण वन पंचायत के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा और अगली वन पंचायत की बैठक में आहरित धनराशि और उपगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।
		(घ)	व्यय उपगत करने और लेखे की प्रक्रिया समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों एवं तत्क्रम में वन विभाग के निर्दे ों के अनुसार होगी।
वन पंचायत के देयों की वसूली	50.		वन पंचायत के देयों की वसूली भू–राजस्व अधिनियम 1901 (यथासं ाोधित) की धारा 82 के अधीन भू राजस्त की बकाया के रूप में की जा सकती है।
पंचायती वन निधि का प्रबन्धन	51.	(क)	प्रभागीय वनाधिकारी पंचायती वन निधि के प्रबन्धन हेतु शासकीय नियमों के अनुरूप आवश्यक आदे ा जारी करेगा, जिसका अनुपालन वन पंचायत द्वारा किया जायेगा।
		(ख)	उपर्युक्त नियम 49 (ख) में उल्लिखित खाता सरपंच द्वारा समीपस्थ भााखा में खोला जाएगा जो चेक सुविधायुक्त होगा। यह खाता सरपंच द्वारा संचालित होगा एवं रूपए 2000 से अधिक के समस्त भुगतान चेक के माध्यम से होंगे, जो वन पंचायत के सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।
		(ग)	फुटकर व्यय हेतु रूपए 2000 तक की धनराि ा वन पंचायत द्वारा अधिकृत किसी सदस्य/सचिव को चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस प्रकार धनराि ा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा तत्संबंधी रसीद फार्म संख्या–2 में दी जाएगी एवं धनराि ा के व्यय के उपरांत उस व्यक्ति द्वारा इसका लेखा–जोखा प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर उक्तानुसार व्यय की गई धनराि ा का लेखा संधारण होगा।
अनुबन्ध आधारित बहुउद्दे ीय पौधारोपण तथा मौन पालन एवं इससे अर्जित आय का वितरण	52.		नियम–21(झ) में वन पंचायत को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत वन उपयोगकर्ता समूह/स्वयं सहायता समूह अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी इकाई से बहुउद्दे ीय पौधारोपण तथा मौन पालन हेतु अनुबन्ध किया जा सकता है एवं इससे होने वाली आय का वितरण निम्न प्रकार होगा:–

		(क)	वन उपज से प्राप्त आय का 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत/नगर निकाय को ऐसे पंचायती वन जिनका क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायत में सम्मिलित हों, के आय की 10 प्रति ात धनराि ा संबंधित ग्राम पंचायतों को उनमें अवस्थित पंचायती वन के क्षेत्रफल के अनुपात में वितरित की जायेगी।
		(ख)	वन उपज से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत पंचायती वन के विकास हेतु पंचायती वन निधि में रखा जायेगा।
		(ग)	वन उपज से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह/वन उपयोगकर्ता समूह/सम्बन्धित इकाई को।
वन उपज से प्राप्त शुद्ध आय का अवधारण, वितरण और उपयोग	53.	(क)	लीसा एवं अन्य वन उपज से प्राप्त शुद्ध आय का अवधारण निम्नवत होगा:— i. लीसा विक्रय से प्राप्त धनराि ा में से विदोहन लागत (All in cost) को कम करते हुये भोश धनराि ा वन विभाग द्वारा विक्रय मूल्य प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वन पंचायत को DBT के माध्यम से भुगतान कर दी जायेगी। ii. अन्य वन उपज के विक्रय से (वन उपज की विक्रय वन विभाग के माध्यम से किए जाने की स्थिति में) प्राप्त धनराि ा में से दस प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की राि ा काटकर, भोश धनराि ा का भुगतान वन विभाग द्वारा विक्रय मूल्य प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वन पंचायत को DBT के माध्यम से भुगतान कर दी जायेगी। iii. वस्तु एवं सेवा कर (GST) या किसी प्रकार के देय कर का समायोजन नियमानुसार किया जायेगा। iv. ईकोटूरिज्म से प्राप्त धनराि ा में से 40 प्रति ात धनराि ा अवस्थापना सुविधा का विकास करने वाली इकाई/संस्था (वन पंचायत द्वारा स्वयं किए जाने की स्थिति में व राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए जाने की स्थिति में उन्हें प्राप्त होगा), 40 प्रति ात धनराि ा परिचालन व्यय एवं भोश 20 प्रति ात धनराि ा

			संबंधित वन पंचायत निधि को प्राप्त होगी।
		(ख)	लीसा, ईकोटूरिज्म तथा अन्य वन उपज की बिक्री से उपर्युक्त उपनियम 52 (क) के अंतर्गत वन पंचायत निधि में प्राप्त भुद्ध आय और अन्य मदों, जैसे प्रतिकर, फीस आदि, से प्राप्त धनराशि पंचायती वन निधि में जमा की जायेगी और उसका वितरण तथा उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगाः— i. संबंधित क्षेत्र में वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण व संवर्धन तथा वासस्थल/ हैबिटेट सुधार परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय को 20 प्रतिशत। ii. पंचायती वन क्षेत्र में वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण व संवर्धन, वासस्थल/ हैबिटेट सुधार, जल स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन, वनाग्नि प्रबंधन एवं सामुदायिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथासंभव स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए अस्थाई)एवं अनुरक्षण के लिए 70 प्रतिशत। iii. वन पंचायतों के प्रशासनिक व्यय यथा कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय आदि के लिये 10 प्रतिशत। उपरोक्त वितरण तथा उपयोग का प्रस्ताव वन पंचायत आम सभा की वार्षिक बैठक में पारित होगा।
कार्य योजनाओं एवं	54.		संहत प्रबन्ध योजनाओं, सूक्ष्म योजनाओं एवं विभिन्न

परियोजनाओं के निरूपण पर व्यय			वित्त पोषित परियोजनाओं के निरूपण पर होने वाला व्यय वन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
अध्याय–8 **बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण**			
वार्षिक बजट	55.		वन पंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी आय और व्यय का वार्षिक अनुमान (जिसे आगे वार्षिक बजट कहा गया है) तैयार करेगी और उसे पारित करेगी। वार्षिक बजट की एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी जो उसमें उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे। वार्षिक बजट संबंधित वर्ष के पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जायेगा और प्रभागीय वनाधिकारी अपनी स्वीकृति अनुवर्ती 31 मार्च तक दे देगा।
वार्षिक बजट में उपान्तर और परिवर्तन	56.		कोई वन पंचायत वार्षिक बजट लागू हो जाने के पश्चात किसी समय संकल्प पारित करके उसमें उपान्तर हेतु सुझाव दे सकती है। सरपंच इस संकल्प की एक प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी को भेजेगा जो वार्षिक बजट में उपान्तर या परिवर्तन कर सकता है।
मासिक लेखा	57.		सरपंच द्वारा वन पंचायत के सभी प्रकार के आय एवम् व्यय का लेखा रखा जायेगा। हर माह के अन्त में लेखा बन्द किया जायेगा एवं अव ोश रोकड़ का हिसाब प्रस्तुत किया जाएगा। वन पंचायत द्वारा आगामी मास की बैठक में लेखा का परीक्षण किया जायेगा तथा उसे पारित किया जायेगा।
लेखा परीक्षण	58.	(क)	प्रत्येक वन पंचायत के लेखों की परीक्षा, उत्तराखण्ड भाासन के आदेशों के अधीन ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे। लेखा परीक्षा के निमित्त वन पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सरपंच एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा।
		(ख)	उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तीन अधिकारधारियों का नामांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आन्तरिक लेखा परीक्षण हेतु किया जायेगा और ऐसी लेखा परीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रत्येक वर्श माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य किया जायेगा।
लेखा परीक्षण सम्बन्धी आपत्तियों का निस्तारण	59.		लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियां प्राप्त होने के एक माह

			के भीतर सरपंच द्वारा बुलाई गयी वन पंचायत की विशेष बैठक में उन पर विचार किया जायेगा और उनके सम्बन्ध में वन पंचायत के स्पशटीकरण अथवा उन पर की जाने वाली कार्यवाही विनिश्चित की जायेगी। तत्प चात् लेखा परीक्षा आपत्तियों व उन पर विनि चत स्पशटीकरण/कार्यवाही को समाहित करते हुए विस्तृत उत्तरालेख यथाशीघ्र मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी को संसूचित किया जायेगा एवं इसकी एक प्रति निरीक्षण अधिकारी के लिये रखी जायेगी।
गबन की स्थिति में सूचना का प्रेशण	60.		जब कभी सरपंच या किसी अन्य अधिकारी को पंचायती वन निधि की धनराशि के गबन का पता चले तो ऐसे गबन के तथ्यों की सूचना तत्काल प्रभाव से वन पंचायत एवं प्रभागीय वनाधिकारी के संज्ञान में लायी जायेगी जो अपनी आख्या/टिप्पणी सहित अविलम्ब इसकी सूचना जिलाधिकारी को देगा।
धनराशि के गबन की जांच	61.		जिलाधिकारी नियम–60 के अन्तर्गत गबन के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त जांच करायेगा।
अध्याय–9 **परामर्शदात्री समितियाँ**			
क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति का गठन	62.		प्रत्येक तहसील में एक क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार कुल–13 सदस्य होंगेः–

1.	क्षेत्रीय समन्वयक	अध्यक्ष	एक
2.	क्षेत्र में से चयनित सरपंच	सदस्य	छः
3.	उप जिलाधिकारी द्वारा नामित सरपंच/सदस्य	सदस्य	चार
4.	उप जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी से अनिम्न)	सदस्य	एक
5.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य सचिव	एक

तहसील की समस्त वन पंचायतों के सरपंच क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के गठन हेतु अपने में से–एक क्षेत्रीय समन्वयक एवं छः सदस्यों का चयन करेंगे। इस चयन हेतु उप जिलाधिकारी किसी राजपत्रित अधिकारी को नामांकित कर तहसील के अन्तर्गत गठित समस्त वन पंचायतों के सरपंचों की बैठक आहूत करवाकर चयन प्रक्रिया पूर्ण करवायेंगे।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
चार सदस्यों का नामांकन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिनमें से दो पुरूश एवं दो महिला सरपंच होंगे। इन चार नामांकित सदस्यों में से एक पुरूश व एक महिला सरपंच अनुसूचित जाति/जनजाति की होंगी। यदि वन पंचायतों में अनुसूचित जाति/जनजाति का सरपंच उपलब्ध न हो तो यह नामांकन वन पंचायतों के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों में से किया जा सकेगा।
उप जिलाधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में नामित अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के गठन की अधिसूचना उप जिलाधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। अध्यक्ष द्वारा समिति की बैठक वर्श में कम से कम 2 बार आयोजित की जायेगी तथा अध्यक्ष द्वारा यथा आव यकता क्षेत्र के किसी वि ाश्ट वि ोशज्ञ या अधिकारी को 'वि ोश आमंत्री' के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। इस हेतु होने वाले व्यय वन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति का गठन</td>
<td>63.</td>
<td></td>
<td>
प्रत्येक जनपद में एक जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–
<table>
<tr><td>1.</td><td>जिला समन्वयक</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जनपद के समस्त क्षेत्रीय समन्वयक</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी से अनिम्न अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जिले का नोडल प्रभागीय वनाधिकारी</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
जनपद अन्तर्गत तहसील स्तर के समस्त क्षेत्रीय समन्वयक अपने में से जिला पंचायती वन पराम ार्दात्री समिति के अध्यक्ष, अर्थात् जिला समन्वयक का चयन करेंगे। यह चयन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया जायेगा। जिला पंचायती वन पराम ार्दात्री समिति की वर्श में कम से कम दो बार बैठक होगी तथा अध्यक्ष द्वारा यथा आव यकता जनपद के किसी वि ाश्ट
</td>
</tr>
</table>

			वि ोशज्ञ या अधिकारी को 'वि ोश आमंत्री' के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। समिति के गठन की अधिसूचना जिलाधिकारी द्वारा जारी की जायेगी इस हेतु होने वाले व्यय जिलाधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक को हटाया जाना	64.		यदि सम्बन्धित क्षेत्रीय/जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के सरपंच/क्षेत्रीय समन्वयक अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहें तो कम से कम एक तिहाई सरपंचों/क्षेत्रीय समन्वयकों जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी को अग्रिम सूचना देकर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव लाये जाने के पश्चात उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी उसी दशा में क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक को हटा सकेंगे, जब यह अविश्वास प्रस्ताव कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाये। अवि वास प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद बहुमत से नए क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक का चुनाव कम ाः नियम 62 एवं नियम 63 के अनुसार किया जाएगा।
राज्य स्तरीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति	65.		राज्य स्तर पर वन पंचायतों के प्रबन्धन की समीक्षा, समन्वय, मार्ग–दर्शन तथा नीति निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्न प्रकार होगीः–

1.	माननीय मंत्री, वन, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, वन पंचायत सलाहकार परिशद	सहअध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन उत्तराखण्ड भाासन	उपाध्यक्ष
4.	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)	सदस्य
5.	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत	सदस्य
6.	प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/ सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड भाासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड भाासन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड भाासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड भाासन	सदस्य

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>11.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड भाासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड भाासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड भाासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड भाासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, जलागम विभाग, उत्तराखण्ड भाासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>जिला पराम र्दात्री समितियों के अध्यक्ष में से दो राज्य भाासन द्वारा नामित (प्रत्येक वर्श रोटे ान के आधार पर)</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
उक्त सदस्यों के अतिरिक्त समिति आवश्यकतानुसार पंचायती वनों के हित में कार्य करने वाले सरकारी व गैर सरकारी व्यक्ति अथवा संस्थाओं के प्रतिनिधियों, वि ोशज्ञों आदि को सहयोजित सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकती है। समिति पंचायती वनों के सुधार एवं वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करेगी एवं आवश्यक मार्गदर्शन करेगी। विभिन्न विभागों के बीच तथा हितभागी जनता, बाजार एवं सरकार के बीच समन्वय व्यवस्था की समीक्षा करेगी एवं नीति निर्धारण करेगी। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी, इस हेतु होने वाले व्यय वन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>पराम र्दात्री समितियों में जिला समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं सदस्यों का कार्यकाल</td>
<td>66.</td>
<td></td>
<td>राज्य स्तरीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति, जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति एवं क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति में उल्लिखित जिला समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं सदस्यों का कार्यकाल उसी अवधि तक रहेगा, जिस अवधि के लिए वन पंचायत विशेष की आम सभा द्वारा उनको सरपंच के रूप में चयनित किया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के कर्तव्य</td>
<td rowspan="2">67.</td>
<td></td>
<td>जिला पंचायती वन परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय पंचायती वन परामर्शदात्री समिति के अपने–अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कर्तव्य निम्नवत होंगेः–</td>
</tr>
<tr>
<td>(क)</td>
<td>वन पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना।</td>
</tr>
</table>

		(ख)	पंचायती वनों की स्थिति सुधारने हेतु पराम र्श देना।
		(ग)	वन पंचायत को विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करना।
		(घ)	वन पंचायत को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।
अध्याय–10 **विविध**			
मानव क्षमता विकास	68.		नियमावली के विभिन्न नियमों के सफल निष्पादन एवं पंचायती वनों के सर्वांगीण विकास हेतु वन पंचायत के सरपंचो, उपसरपंचो, सदस्यों एवं सचिवों/अपर सचिवों के साथ–साथ वन विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु वन विभाग द्वारा आव यक व्यवस्था की जाएगी, इस हेतु वानिकी प्रि ाक्षण संस्थान हल्द्वानी में प्रि ाक्षण किया जाएगा, जिसमें प्रि ाक्षण का ऑनलाईन मॉड्यूल भी विकसित किया जाएगा। जिसमें पंचायती वनों के गठन, विस्तार, चुनाव, कार्य योजनाओं, लेखा, वन उपज के उपयोग, उद्यमिता विकास, पदाधिकारियें के कर्तव्य/अधिकारों आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही, किसी विशय–वि ोश पर प्रि ाक्षण प्रदान किए जाने हेतु समय–समय पर अन्य उपयुक्त संस्थानों में भी प्रि ाक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
वन पंचायत की कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं कार्यो का निरीक्षण	69.	(क)	सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य/जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, नगर निकाय के अध्यक्ष/नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत गठित वन पंचायतों के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं तथा वन पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण भी कर सकते हैं।
		(ख)	इन समीक्षा/निरीक्षण आख्याओं की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी को भेजी जायेगी जिस पर वह समुचित कार्यवाही करेगा।
नियमावली का प्रवृत्त होना	70.		सभी वर्तमान पंचायती वन/वन पंचायतें, जो इस नियमावली के लागू होने से पूर्व शैड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अधीन बनाये गये हों या कुमाऊँ पंचायत फॉरेस्ट रुल्स के अधीन गठित किये गये हों या टिहरी राज्य प्रान्त पंचायती विधान सं0–11938 के अधीन

			गठित किये गए हों या पंचायती वन नियमावली,1976 या पंचायती वन नियमावली 2001, या पंचायती वन नियमावली, 2005 (यथा सं ाोधित, 2012 व 2024) के अधीन गठित किये गये हों, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से इस नियमावली के अधीन यथाविधि गठित और कार्य कर रही समझी जायेगी। किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस नियमावली के प्रवृत होने के ठीक पूर्व विधि/नियमावली की किसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही उसी पूर्व विधि/नियमावली से भाासित होगी मानो विधि/नियमावली की वह व्यवस्था वर्तमान में भी प्रवृत है।
मानक संचालन प्रक्रिया	71.		नियमावली के क्रियान्वयन सम्बन्धी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)/निर्दे ा भाासन द्वारा जारी किया जायेगा, जिसका अनुपालन वन/राजस्व विभाग, वन पंचायत एवं अन्य सम्बन्धित द्वारा सुनि चत किया जायेगा।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव